# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—73/2013/223 आर.टी.एक्ट (2013/00083)

1. श्रीमती जड़ाव पुत्री श्री रामचंद्र पत्नी श्री लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम तबीजी, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र स्व0 श्री रामचंद्र, जाति जाट(फौत)
   1/1 श्रीमती बरजी पत्नी सूरजकरण,
   1/2 भंवरलाल पुत्र सूरजकरण
   1/3 रामराज पुत्र सूरजकरण
   1/4 गंगा पुत्री सूरजकरण
   1/5 जमना पुत्री सूरजकरण सभी जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. हरनाथ पुत्र स्व0 श्री रामचंद्र, जाति जाट
3. रामनाथ पुत्र स्व0 श्री रामचंद्र, जाति जाट
   निवासीगण ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. स्व0 उगमी पुत्री स्व0 श्री रामचंद्र पत्नी श्री सूरजकरण जरिए वारिसान
   4/1 सूरजकरण पुत्र श्री, जाति जाट
   4/2 प्रहलाद पुत्र सूरजकरण जाति जाट
   4/3 रतन पुत्र सूरजकरण जाति जाट
   4/4 मीना उर्फ भोली पुत्री सूरजकरण जाति जाट
   जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी, तहसील व जिला अजमेर।
5. मनोहर पुत्री रामचंद्र, जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. भुला पुत्री स्व0 श्री रामचंद जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. रिसाल पुत्री स्व0 श्री रामचंद जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2012 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 11/2011**

**उपस्थितः—**

1. श्री विजयसिंह रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री रविन्द्र सेठी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5, 2, 4/1 से 4/4, 5 से 07 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

# निर्णय

दिनांकः—17.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 11/2011 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादीया द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद में प्रस्तुत कर आराजी कृषि भूमि ग्राम दिलवाडा स्थित आराजीयात अपीलांट एंव रेस्पोडेंट की सम्मिलित बिना विभाजन की कृषि आराजीयात जो कि पैतृक सम्पत्ति है इस पर वादिया/अपीलांट का 1/8 हिस्सा कायम है तथा उपरोक्त सम्पत्ति पर बंटवारा एवं उदघोषणा एवं खातेदारी अधिकार हेतु दावा किया गया था तथा अपीलांट के पिता रामचंद्र का देहांत हो गया तथा वादीया/अपीलार्थी विधिक वारिसान होने पर भी खातेदारी होने के बाद भी प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण संख्या 1, 2 व 3 ने अपने स्वयं के नाम उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को अपने नाम करवा ली तथा विधिक सजरा आदि दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसको बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 11/2011 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5, 2, 4/1 से 4/4, 5 से 07 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थीया/वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपनी पैत्रिक खातेदारी कृषि भूमि वाकै ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है कि जिसके खाता संख्या 294/195 में दर्ज खसरा नम्बर 860, 863, 864, 865, 866, 868, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 939, 940, 941, 1431/1723, 1434, 1435, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 एवं 1448 जिसका कुल रकबा 8.8200 है0 जो कि पूर्व में अपीलार्थीया के पिता स्व0 श्री रामचंद्र की खातेदारी दर्ज चली आ रही थी, कि जिनके स्वर्गवास के पश्चात जरिए विरासत नामांतरकरण संख्या 143 दिनांकित 15.12.2004 के आधार पर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि पूर्व खातेदारी श्री रामचंद्र के पारिवारिक सजरे अनुसार उनकी जायंदा पुत्रियां अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्वतः ही ब—हिस्सा बराबर विरासतन खातेदार काश्तकार हो चुकी है कि इस प्रकार प्रत्येक पुत्र—पुत्रियों को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर बाई—मिट्स एवं बाउण्डस के न्यायिक बंटवारा आज्ञाप्ति पारित किए जाने के संदर्भ में विचाराधीन चला आ रहा था। प्रस्तुत वाद में पूर्व खातेदार श्री रामचंद्र के प्रत्येक वारिसान को 1/7 हिस्सा कायम किए जाने का सहवन से वादपत्र में लिपिकीय त्रुटिवश अंकन हो जाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त लिपिकीय त्रुटि 1/7

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हिस्से के स्थान पर 1/8 हिस्से अनुसार खातेदारी उदघोषणात्मक आज्ञप्ति पारित किए जाने के संदर्भ में दुरूस्ती/संशोधन हेतु प्रस्तुत किया कि जिसका प्रतिवादी पक्षकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.6.2011 को स्वीकार कर संशोधित वाद प्रस्तुती हेतु दिनांक 27.06.2012 पेशी नीयत कर दी गई, एवं तत्पश्चात प्रकरण में कॉमन तारीख पेशी एवं पी0ओ0 साहब अवकाश पर बिना पूर्व आदेशिका एवं कारण का बिना अवलोकन किए ही दिनांक 13.12.2012 को आदेशिका में उल्लेखित किया कि वादी का वाद दिनांक 2.2.2011 से लंबित है वाद उचित अवसर के बाद भी वादी द्वारा वाद के प्रति किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखावाई गई वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किए जाता है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा पारित किया गया आदेश बिना किसी अधिकारिता के एवं विधि के प्रावधानों एंव सिद्धांतों के प्रतिकूल पारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत वाद में पैत्रिक खातेदारी हक एवं न्यायिक बंटवारा आज्ञाप्ति के संदर्भ में वाद विचाराधीन रहते एवं वाद में तकनीकि दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किए जाने के एवं वादिया जो कि अत्यधिक वृद्धावस्था में होने के तथ्यों को नजरअंदाज कर एवं पत्रावली में कॉमन तारीख पेशी निरंतर चलने के कारण वादिया उक्त दिनांक 13.12.2012 को संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किए जाने मात्र से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वादिया के विधिक खातेदारी हकों एवं अधिकारों के विपरीत जाकर वादिया का वाद खारिज कर दिया गया है। जिसे न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया, एवं सुविधा का संतुलन एवं कानूनन समानता आदि सम्पूर्ण तथ्य जो कि वादिया के पक्ष में बखुबी साबित होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2012 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 विवाहित पुत्रियां है जिनके विवाह में उनके हिस्से से कहीं अधिक धनराशि देकर स्व0 श्री रामचंद्र ने उन्हें परिवार से अलग कर ससुराल में बसा दिया था। इसके अलावा स्व0 श्री रामचंद्र ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर विवादित आराजी भूमि अपने तीनों पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को ही समानरूप से देने की मौखिक वसियत कर दी थी अतः श्री रामचंद्र की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादीगण ने बदनीयतिपूर्वक विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड दर्ज नहीं करवाया है। वादीया ने उल्लेख नहीं किया है कि कथित इंद्राज कब करवाया गया है। वादीया ने जिस नामान्तकरण आदेश को चुनौति दी है उस नामांतकरण आदेश की संख्या व दिनांक का विवरण नहीं दिया है तथा प्रश्नगत आदेश किस तरह गलत है उसके बाबत भी कोई अभिवचन नहीं किए है। विदित हो कि नामांतकरण का आदेश एक न्यायिक आदेश होता है जो कि तथ्यात्मक जांच के उपरांत किया जाता हैं। वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 स्व0 वादीया का विवाह स्व0 रामचंद्र के जीवनकाल में ही करीब 35 वर्ष पूर्व हो गया था तथा तब से वह अपने ससुराल में ही रह रही है और वही की सदस्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 17.6.2012 को पत्रावली प्रार्थना पत्र आर्डर 6 नियम 17 सीपीसी की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर अंकन किया हुआ है। तत्पश्चात पत्रावली में 29.6.2012, 31.7.2012, 4.9.2012, 18.10.2012, 30.10.2012 उक्त तारीख पेशी की आर्डर शीट में पत्रावली पी0ओ0 साहब के मुख्यालय पर नहीं होने व न्यायालय का कार्य स्थगन होने की फर्द अहकाम लिखी हुई है। उसके बाद दिनांक 13.12.2012 को अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया की वाद 2011 से लंबित है, वाद बाबत उचित अवसर के बाद भी वादी द्वारा वाद के प्रति किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखाई गई, जब कि अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि वादी द्वारा जानबूझकर दावे को लंबित कर रहा है क्योंकि दिनांक 7.6.2011 के बाद दी गई तारीख पेशीयों में अधीनस्थ न्यायालय में कार्य स्थगन व पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने की फर्द अहकाम मुर्तिब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलांट वादी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट वादी के वाद को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जो कानूनी रूप से विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति आदेश दिनांक 13.12.2012 विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 11/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर वे उपरोक्त उल्लेखित Observations के क्रम मे दिए गए निर्देशों की पालना में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित कर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. **निर्णय** आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे **इजलास** सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner